# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
# ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , बिक्रमगंज

पत्रांक:- 1940 अनु० /बिक्रमगंज

दिनांक:- 09/12/25

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज

सेवा में

**अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी –सह सचिव**
**बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी**
**ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना।**

विषय:- MMGSUY(GENRAL) योजना अंतर्गत में आवंटन हेतु अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक MMGSUY( GENRAL ) योजना अंतर्गत कराये गए कार्य का भुगतान हेतु अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक करवाई हेतु समर्पित की जाती है।

विश्वासभाजन

09/12/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल बिक्रमगंज

9/12/25

**अनुलग्नक:- संलग्न सूची**

1 . पथ का आवंटन अधियाचनाप्रपत्र
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र

## Requisition Format for Scheme MMGSUY (General/SC/ST)

**Name of the Works Division :- Bikramganj**

| Sl. No. | Package No. | Project ID as per MIS | Name of Road | AA Length (in km.) | Administrative Approval (construction work) Amount (in Lakh) | Agreement (construction work) Amount (in Lakh) | Agreement No. & Date | Date of Completion as per Agreement | Actual Date of Completion | Work Status (WBM/WMM/BM/SDBC etc.) | Value of IRI (in mm/ km) | Thickness of Bitumen Layer (in mm) | Value of Bitumen Content (in %) | Total Previous Allotted Amount (in Lakh) | Upto date Expenditure as per MIS (in Lakh) | Value of Work Done (in Lakh) | Current Demand (in Lakh) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Departmental | | Construction of Road Mohani Durga Mandir to Bal More Nahar | 0.725 | 76.207 | 48.045 | 20.04.2025 Departmental | 29.05.2025 | 29.05.2025 | Completed | 2975.00 | 25 mm | 5.02 | 0.000 | 0.000 | 74.36474 | 74.36474 | Departmental Work Completed |

**It is certified that Physical & Financial Progress has been updated in MIS.**

9/12/25
Senior D.A.O./D.A.O.
RWD, Works Division Bikramganj

09/12/25
Executive Engineer
RWD, Works Division, Bikramganj

**Note :-**

1. Above Signed Copy along with Forwading Letter & Utilisation Certificate must be uploaded in MIS.
2. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excell) of recorded IRI is enclosed (As Applicable).

**GENERAL FINANCIAL RULES 2017**
**Ministry of Finance**
**Department of Expenditure**

# GFR 12-B

[See Rule 256 (2)]

## FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

(1) Certified that out of the Loan of Rs 48.062 Sanctioned under MMGSUY (SC) dated 31.03.2025 in favour of 2024-25 during the year 2025 an amount of Rs. 0.00, has been utilized for the purpose for which it was sanctioned, and that the balance of Rs 0.00, remaining unutilized at the end of the year.2025 has been surrendered to the Government (vide No......................., dated..................)/ will be adjusted towards the loan payable during the next financial year.

(2) Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the loan was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which the loan was made.

Kinds of checks exercised

1.
2.
3.
4.

Signature........09/12/25

Designation.....................

Date.................................

## Name of work-construction road mohani durga mandir to bal more nahar tak

### Name of Agency-Departmental

| Date | Time | Section | Length | Bumps | Speed | OR | IRI | CATEGORY | Latitude | Longitude | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | in km | in mm | Rate | mm/km | mm/km | ROAD | | | |
| 6/ 12/ 25 | 14: 29: 0 | 115 | 0.1 | 200 | 20.2 | 1935 | 2000 | G | 25.338237 | 84.233045 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 29: 0 | 115 | 0.1 | 330 | 20.2 | 3075 | 3300 | G | 25.338287 | 84.233008 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 29: 34 | 115 | 0.1 | 280 | 20.2 | 2636 | 2800 | G | 25.338777 | 84.233023 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 30: 9 | 115 | 0.1 | 270 | 10.1 | 2549 | 2700 | G | 25.342294 | 84227983 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 30: 9 | 115 | 0.1 | 330 | 10.1 | 3075 | 3300 | G | 25.342399 | 84.228078 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 30: 44 | 115 | 0.1 | 320 | 20.2 | 2987 | 3200 | G | 25.342511 | 84.342511 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 31: 0 | 115 | 0.1 | 340 | 30.3 | 3163 | 3400 | G | 25.342682 | 84.227187 | Normal |
| 6/ 12/ 25 | 14: 31: 19 | 115 | 0.1 | 310 | 10.1 | 2900 | 3100 | G | 25.342801 | 84.226887 | Normal |
| | | | | | IRI= | | 2975 | | | | |

Y = 0 * X ^ 2 + 0.952 * X + 195.8
X = 3400
Y = 3163

(R) RURAL ROAD

| Good | Average | Poor |
|---|---|---|
| <4000 | 4001-5000 | >5001 |

6/12/25
A.E

6/12/2025
J.E

06/12/25
J.E

06/12/25
EE

| | |
|---|---|
| Name of Customer: | DEPARTMENTAL |
| Name of Work/ Road: | R TO BAL MORE NAHAR TAK |
| Lab Job number | |
| Date: | 06-12-2025 |
| Section No. | 115 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Test Date: | 06-12-2025 | Road Name: | R TO BAL MORE NAHAR TAK |
| Machine No: | 438 | Road Type: | (R) RURAL ROAD |
| Start S No: | | Side: | |
| Start E No: | | | Interval |
| Weather: | NORMAL | UIV Range: | 935 To 4000 / 1000 mm/km |
| Start Location: | RGA MANDIR | Dist Range: | 0 To 0.9 / 0.1 * 1000 m |
| End Location: | NAHAR TAK | Equation: | Y = 0 * X ^ 2 + 0.952 * X + 195.8 |

Print | Generate Report and Graph | Redraw Graph | Map View

File :C:\Users\DELL\Desktop\b\09\Semra Madhopur.Xls, Section No. :115, Eqn : Y = 0 * X ^ 2 + 0.952 * X + 195.8

Name of Customer :DEPARTMENTAL Name of Work/ Road :CONSTRUCTION OF ROAD MOHANI DURGA MANDIR

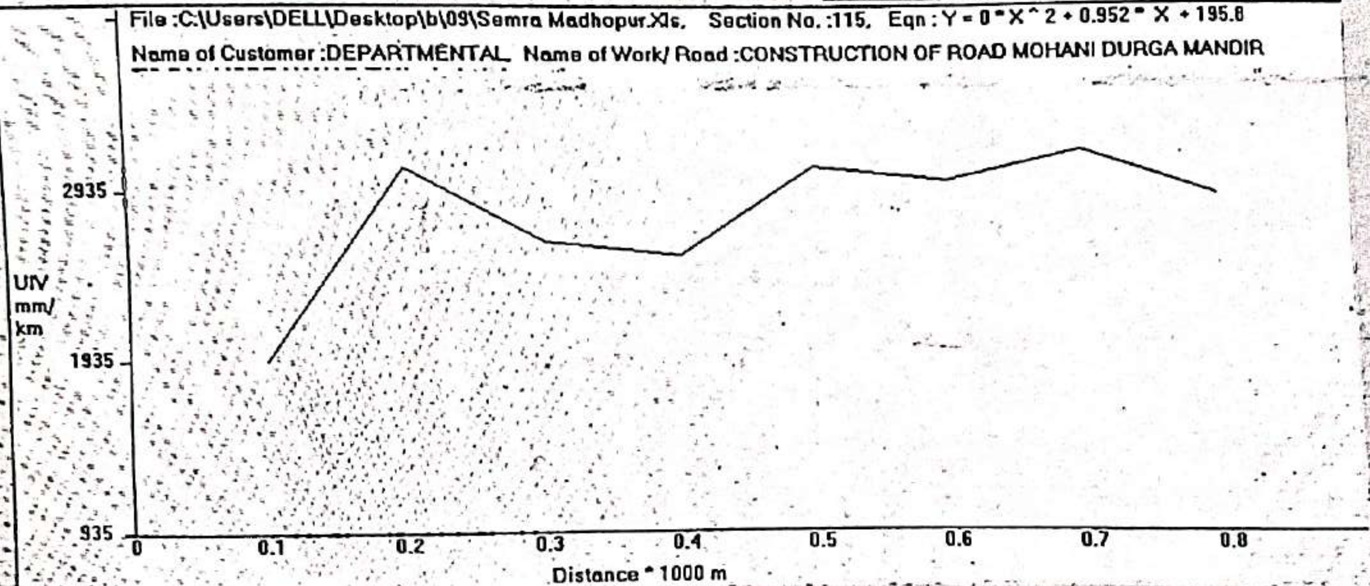


06/12/25 EE

6/12/25 A.E

6/12/2025 J.E

06/12/25 J.E

Scanned with OKEN Scanner

Name of Work–
Situation of Work–
Agency by which work is executed–
Date of Measurement–
No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. | L. | B. | D. | |
| N/ work – | Cons. of Road Mohni | | | | |
| | Durga mandir To | | | | |
| | Bal more Nahar. | | | | |
| | Under head P.M. yatra. | | | | |
| Agency – | | | | | |
| Ag No – | | | | | |
| Date of start – | | | | | |
| Date of Completion – | | | | | |
| Actual Date of Completion – | | | | | |
| | | | | | |
| Date of measurement – | | | | | |
| (1/2) | clearing and Grubbing | | | | |
| | Road land – as Est. | | | | |
| | 2 × | 10 × | 30.00 × | 1.30 = | 780.00 |
| | 2 × | 10 × | 30.00 × | 1.30 = | 780.00 |
| | 2 × | 4 × | 30.00 × | 1.30 = | 312.00 |
| | 2 × | 1 × | 5.00 × | 1.20 = | 12.00 |
| | | | | Qty – | 1884.00 m² |
| | | | or | 0.19 Hec. | |
| (2/1) | setting out Pillars. | | | | |
| | — | do — | do — | Est | |
| | | | | Qty – | 0.725 kms |

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. | L. | B. | D. | |
| | Abstract of Cost. | | | | |
| (1/1) | providing & fixing of working bench mark — do | | | | |
| Qty vide Tmb Pg No — (1/2) | | | | 0.725 Km | |
| @ Rs. 12,734.81/ km | | | — Rs. | 9, | 233=00 |
| (2/2) | Clearing and Grubbing Road Land — do — Eb | | | | |
| Qty vide Tmb Pg No — (1/1) | | | | 0.19 Hec. | |
| @ Rs 65, | 115.00/Hec | | — Rs. | 12, | 372=00 |
| (3/3) | Excavation for Roadway in soil using manual means for Box Cutting — do — Eb | | | | |
| Qty vide Tmb Pg No-(2/3) | | | | 66.99 m3 | |
| @ Rs. 85.58/ m3 | | | — Rs. | 5,7 | 33=00 |
| (4/4) | Construction of Embankment with material obtained from borrow pits — do — Eb | | | | |
| Qty vide Tmb Pg No-(1/5) | | | | 3429.95 m3. | |
| @ Rs. 214.55/m3 | | | — Rs. | 7,35, | 896=00 |
| | | | | Rs. | 7,63,234=00 |

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

B/F Rs 61,27,436=00

| Particulars | Details of actual measurement | | | | Contents of area |
|---|---|---|---|---|---|
| | No. | L. | B. | D. | |
| (24/24) Plastering with cement mortar (1:4) — m — 4 | | | | | |
| Qty. as per form (417) 71.36 m2 | | | | | |
| @ Rs. 162.60/m2 — Rs | | | | 11,603=00 | |
| | | | Rs. | 61,39,039=00 | |
| Add for @ 1% Labour Cess (+) | | | | 61,390=00 | |
| | | | Rs | 62,00,429=00 | |
| Add for 10% S.F — | | | | | |
| Earth - 4983.69 m3 @ 35.29 x 10% - Rs | | | | | 17,587=00 |
| GSB - 471.68 m3 @ 604.60 x 10% Rs | | | | | 28,517=00 |
| WBM-3 - 160.99 m3 @ 1492.03 x 10% Rs | | | | | 23,930=00 |
| BM - 140.05 m3 @ 1005.98 x 10% - Rs | | | | | 14,089=00 |
| SDBC — 70.46 m3 @ 919.51 x 10% - Rs | | | | | 6479.00 |
| Brick masonry - 5.76 m3 @ 628.02 x 10% - Rs | | | | | 362=00 |
| Plastering - 142.72 m2 @ 628.02 x 10% Rs. | | | | | 8,963=00 |
| M-15 - 1.82 m3 @ 1133.84 x 10% Rs - | | | | | 206=00 |
| M-20 - 13.54 m3 @ 1133.84 x 10% Rs | | | | | 1535=00 |
| | | | | (+) Rs 1,01,668=00 | |
| | | | | Rs 63,02,097=00 | |
| Add for @ 18% GST - Rs (+) | | | | 11,34,377=00 | |
| | | | | Rs 74,36,474=00 | |
| CSP<br>SDE<br>15/11/25 | 9/10/25<br>A.E | | 9/10/2025<br>J.E. | | |

Continuation

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 – 3122 /पटना, दिनांक– 29-08-2025

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष–0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत होने वाले व्यय की राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103–सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष –0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये कुल 06 (छः) पथों का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

| क्रम सं० | जिला | कार्य प्रमण्डल | प्रखण्ड | योजना का नाम | विभागीय रूप से कटौती गयी कार्य की लम्बाई (कि०मी०) | कुल प्रशासनिक राशि (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rohtas | Bikramganj | Bikramganj | Mohini Durga Mandir To Bal More Nahar Tak | 0.725 | 75.20700 |
| 2 | Gaya | Gaya | Sadar Gaya | Kewali Bara RCD Road To Murkatta Village | 1.300 | 64.36450 |
| 3 | Gaya | Gaya | Sadar Gaya | L063-Kathotiya More To Kathihari Ghal (VR63) | 1.683 | 62.50800 |
| 4 | Gaya | Gaya | Sadar Gaya | L080-Shohan Bigha Gutiya Road To Paharpur (Track 80) | 2.050 | 78.81900 |
| 5 | Gaya | Gaya | Tankuppa | L038-Ginjoe Road To Bhelaura (VR38) | 2.530 | 56.86800 |
| 6 | Siwan | Siwan-I | Pachrukkhi | NH 531, Mansingh tola road to Jurihata Tak road | 0.445 | 94.00000 |
| | | | | Total | 8.733 | 432.766 |

2. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 – सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना–उपशीर्ष –0121–मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। दिनांक 08.05.2025 को संपन्न लोक वित्त समिति के बैठक में निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अतिरिक्त 14626.07 करोड़ रू0 क्षांत किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित कुल 06 (छः) पथों के घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रू0 432.766 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

Scanned with OKEN Scann

4. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संवंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025, दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित 06 योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार अपर मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 में दिनांक 26.08.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–17 के आलोक में संवंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

Scanned with OKEN Scanner

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0(अ0उ0)4515–01–1264/2025 के पृ0– 13 /टि0 पर दिनांक–28.08.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

29/8/25

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01 –1264/2025 -3126 /पटना, दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– मु0अ0(अ0उ0)4515–01 –1264/2025 -3126 /पटना, दिनांक– 29.08.2025
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/8/25

संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

CE
T.C No-97
Date-09.10.2025

# मुख्य अभियंता–2,(गया) का कार्यालय,
## ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–2/प्रा0–01–125/24 2059 अनु० पटना, दिनांक– 09/10/2025

प्रेषक,

मुख्य अभियंता 2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सासाराम।**

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **विक्रमगंज** के अधीन **शीर्ष MMGSUY** मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत **01 (एक)** पथ के कार्य हेतु घटनोत्तर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक–**797** अनु0 दिनांक **17.09.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल **01 (एक)** अदद पथ के प्राक्कलन का घटनोत्तर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट **'क'** में अंकित है।

1. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
2. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
3. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यो के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
6. अधीक्षण अभियंता, ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
7. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पशचात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विप्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
9. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, [illegible] के अधीन MMGSY अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची-

| क्र० सं० | पथ का नाम | पथ की लम्बाई (कि०मी० में) | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रकार | प्रशासनिक अनुमोदन की राशि (लाख में) | तकनीकी स्वीकृति की राशि निर्माण कार्य (लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | [illegible] | [illegible] | [illegible] 09.08.2022 | 56.207 | 56.207 |

अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता-4 (निरूप)
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

## प्रावैधिक टिप्पणी

**योजना का नामः–परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।**
**प्रशासनिक स्वीकृतिः–परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।**

### विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकारत्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य अंचल, सासाराम** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिष्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगीः–

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है।परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरुप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात हीं आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत हीं निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभिंयता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से **शीर्ष MMGSUY** योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जाँच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई०आर०सी० के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यो का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।

24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्राविधिक आँकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।

29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्राविधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।

30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।

31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

(signature)

मुख्य अभियंता-2, (पथ)